

Roll No.-----

प्रश्नपुस्तिका क्रमांक  
Question Booklet No.

O.M.R. Serial No.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

प्रश्नपुस्तिका सिरीज  
Question Booklet Series

**A**

**B.A.LL.B (Eighth Semester) Examination, January-2022**

**B.A.LL.B802 (PAPER-II)**

**CRIMINAL LAW-II(CRIMINAL PROCEDURE LAW)**

**Time : 1:30 Hours**

**Maximum Marks-100**

जब तक कहा न जाय, इस प्रश्नपुस्तिका को न खोलें

- निर्देश : —
1. परीक्षार्थी अपने अनुक्रमांक, विषय एवं प्रश्नपुस्तिका की सिरीज का विवरण यथास्थान सही— सही भरे, अन्यथा मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की विसंगति की दशा में उसकी जिम्मेदारी स्वयं परीक्षार्थी की होगी।
  2. इस प्रश्नपुस्तिका में 100 प्रश्न हैं, जिनमें से केवल 75 प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थियों द्वारा दिये जाने हैं। प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर प्रश्न के नीचे दिये गये हैं। इन चारों में से केवल एक ही उत्तर सही है। जिस उत्तर को आप सही या सबसे उचित समझते हैं, अपने उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) में उसके अक्षर वाले वृत्त को काले या नीले बाल प्वाइंट पेन से पूरा भर दें। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित प्रश्नों से अधिक प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं तो उसके द्वारा हल किये गये प्रथमतः यथा निर्दिष्ट प्रश्नोत्तरों का ही मूल्यांकन किया जायेगा।
  3. प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। आप के जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।
  4. सभी उत्तर केवल ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) पर ही दिये जाने हैं। उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान के अलावा अन्यत्र कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा।
  5. ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (O.M.R. ANSWER SHEET) पर कुछ भी लिखने से पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया जाय।
  6. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक को अपनी प्रश्नपुस्तिका बुकलेट एवं ओ०एम०आर० शीट पृथक—पृथक उपलब्ध कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष से प्रस्थान करें।
  7. निगेटिव मार्किंग नहीं है।

महत्वपूर्ण : — प्रश्नपुस्तिका खोलने पर प्रथमतः जाँच कर देख लें कि प्रश्नपुस्तिका के सभी पृष्ठ भलीभाँति छपे हुए हैं। यदि प्रश्नपुस्तिका में कोई कमी हो, तो कक्ष निरीक्षक को दिखाकर उसी सिरीज की दूसरी प्रश्नपुस्तिका प्राप्त कर लें।



- |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Under which section of Cr. P.C police may arrest without warrant :</p> <p>(A) Section 42</p> <p>(B) Section 41</p> <p>(C) Section 40</p> <p>(D) Section 43</p>                                                                                                   | <p>1. दण्ड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अन्तर्गत पुलिस बिना वारण्ट गिरफ्तार कर सकती है :</p> <p>(A) धारा 42</p> <p>(B) धारा 41</p> <p>(C) धारा 40</p> <p>(D) धारा 43</p>                                                                                                       |
| <p>2. When private person can arrest without warrant :</p> <p>(A) When any person commit in his presence a non bailable and cognizable offence</p> <p>(B) Any proclaimed offender</p> <p>(C) In both cases</p> <p>(D) Private person cannot arrest without warrant</p> | <p>2. कब प्राइवेट व्यक्ति बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर सकता है :</p> <p>(A) जब कोई व्यक्ति उसकी उपस्थिति में संज्ञेय और अजमानतीय अपराध करता है</p> <p>(B) किसी उद्घोषित अपराधी को</p> <p>(C) दोनों ही मामलों में</p> <p>(D) प्राइवेट व्यक्ति बिना वारण्ट गिरफ्तारी नहीं कर सकता</p> |
| <p>3. Under which section of Cr.P.C it is provided that the person arrested to be informed of ground of arrest and of right to bail :</p> <p>(A) Section 51</p> <p>(B) Section 50</p> <p>(C) Section 52</p> <p>(D) Section 49</p>                                      | <p>3. Cr.P.C की किस धारा में प्रावधान है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण और जमानत के अधिकार के बारे में बताया जायेगा:</p> <p>(A) धारा 51</p> <p>(B) धारा 50</p> <p>(C) धारा 52</p> <p>(D) धारा 49</p>                                                                    |
| <p>4. Any person who is arrested not be detained more then .....</p> <p>(A) 20 hours</p> <p>(B) 22 hours</p> <p>(C) 12 hours</p> <p>(D) 24 hours</p>                                                                                                                   | <p>4. कोई व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है किस अवधि में अधिक अभिरक्षा में नहीं रखा जायेगा :</p> <p>(A) 20 घण्टे</p> <p>(B) 22 घण्टे</p> <p>(C) 12 घण्टे</p> <p>(D) 24 घण्टे</p>                                                                                                 |

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5. Which section of the Cr. P.C is concerned with identification of arrested person :</p> <p>(A) Section 54.A</p> <p>(B) Section 55</p> <p>(C) Section 55.A</p> <p>(D) Section 57</p>                                                                                                   | <p>5. Cr. P.C की कौन सी धारा गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान कराने से सम्बन्धित है :</p> <p>(A) धारा 54.A</p> <p>(B) धारा 55</p> <p>(C) धारा 55.A</p> <p>(D) धारा 57</p>                                                                                                                                       |
| <p>6. Every summons issued by a court shall be :</p> <p>(A) In writing</p> <p>(B) In duplicate</p> <p>(C) Sign by presiding officer of the court</p> <p>(D) All of the above</p>                                                                                                           | <p>6. प्रत्येक समन जो न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, होगा :</p> <p>(A) लिखित में</p> <p>(B) दो प्रतियों में</p> <p>(C) पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित</p> <p>(D) उपरोक्त सभी</p>                                                                                                                 |
| <p>7. When the person summoned cannot be found the summons may be served by leaving one of the duplicate for him with :</p> <p>(A) Adult male member of the family</p> <p>(B) Adult male or female member of family</p> <p>(C) Adult servant of the family</p> <p>(D) All of the above</p> | <p>7. जब जिस व्यक्ति को समन किया गया है, नहीं मिलता है, तब समन की तामीली समन की एक प्रति इनमें से किसको देकर की जायेगी :</p> <p>(A) परिवार के किसी व्यस्क पुरुष सदस्य को</p> <p>(B) परिवार के किसी भी व्यस्क सदस्य चाहे महिला हो या पुरुष</p> <p>(C) परिवार के व्यस्क नौकर पर</p> <p>(D) उपरोक्त सभी</p> |
| <p>8. Every warrant of arrest issued by court shall be :</p> <p>(A) In writing, signed by presiding officer of the court, bear the seal of the court</p> <p>(B) In duplicate</p> <p>(C) Both of the above</p> <p>(D) None of the above</p>                                                 | <p>8. न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी के लिये जारी किया गया प्रत्येक वारण्ट :</p> <p>(A) लिखित में, पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, न्यायालय की मुद्रा लगी होगी</p> <p>(B) दो प्रतियों में होगा</p> <p>(C) उपरोक्त दोनों</p> <p>(D) दोनों में से कोई नहीं</p>                                              |

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>9. Every warrant of arrest issued by the court shall remain in force :</p> <p>(A) Until it is cancelled by the court</p> <p>(B) Until it is executed</p> <p>(C) Both of the above</p> <p>(D) None of the above</p>                                                                                               | <p>9. न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी के लिये जारी किया गया प्रत्येक वारण्ट जारी रहेगा :</p> <p>(A) जब तक न्यायालय द्वारा खारिज न कर दिया गया हो</p> <p>(B) जब तक कि उसका निष्पादन कर दिये जाने तक</p> <p>(C) उपरोक्त दोनों</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p>             |
| <p>10. According to section 77 a warrant of arrest :</p> <p>(A) May be executed at any place in India</p> <p>(B) May be executed all over the world</p> <p>(C) May be executed in local jurisdiction of the court</p> <p>(D) All of the above</p>                                                                   | <p>10. धारा 77 के अनुसार गिरफ्तारी का वारण्ट :</p> <p>(A) भारत में किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकेगा</p> <p>(B) पूरे विश्व में कहीं भी निष्पादित किया जा सकेगा</p> <p>(C) न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार में निष्पादित किया जायेगा</p> <p>(D) उपरोक्त सभी</p> |
| <p>11. Which provision of the Cr.P.C provide that arrested person shall be brought before magistrate's court without unnecessary delay within 24 hours exclusive of the time necessary for the journey :</p> <p>(A) Section 57</p> <p>(B) Section 76</p> <p>(C) Both (A) &amp; (B)</p> <p>(D) None of the above</p> | <p>11. Cr.P.C कि किस धारा में प्रावधान है कि गिरफ्तार व्यक्ति को यात्रा के समय को छोड़कर 24 घण्टे के अन्दर मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर किया जायेगा :</p> <p>(A) धारा 57</p> <p>(B) धारा 76</p> <p>(C) (A) और (B) दोनों</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p>              |

12. If any court has reason to believe that any person against whom a warrant has been issued by it has absconded or concealing himself so that warrant cannot be executed, then such court :
- Issue non bailable warrant
  - Order to publish written proclamation
  - Order the attachment of property
  - All of the above
13. Any person other than proclaimed person, can claim and objection to the attachment of property within a period of .....
- 6 month
  - 3 month
  - One year
  - Two year
14. Which one is not a method of publication provided in section 82 of Cr.P.C :
- It shall be publicly read in some conspicuous place of the town where such person ordinarily resides
  - It shall be affixed to some conspicuous part of the house where such person ordinarily resides
  - A copy of proclamation shall be published in every newspaper in territory of India
  - A copy shall be affixed to some conspicuous part of court
12. जब न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि जिसके विरुद्ध वारण्ट जारी किया गया है, फरार हो गया है या अपने आपको गिरफ्तारी से बचने के लिये छिपा रहा है, तब ऐसा न्यायालय :
- गैर जमानती वारण्ट जारी करेगा
  - लिखित उद्घोषणा जारी करने का आदेश देगा
  - सम्पत्ति को कुर्क करने का आदेश देगा
  - उपरोक्त सभी करेगा
13. उद्घोषित अपराधी से भिन्न कोई व्यक्ति, कुर्क की गई सम्पत्ति के लिये दावा और आपत्ति कर सकेगा :
- 6 माह
  - 3 माह
  - एक वर्ष
  - दो वर्ष
14. निम्न में से कौन सा तरीका प्रकाशन के लिये धारा 82 में नहीं बताया गया है :
- ऐसे कि उस नगर में जहाँ ऐसा व्यक्ति साधारणतयः निवास करता है, सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करके, जिसके सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाये
  - उसके घर के किसी सहजदृश्य भाग पर चस्पा करके, जिसमें वह साधारणतया निवास करता है
  - ऐसी उद्घोषणा की एक प्रति भारत के सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित करके की जायेगी
  - न्यायालय के किसी सहज दृश्य भाग पर चस्पा करके की जायेगी

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>15. Under which section of Cr.P.C search warrant may be issued :</p> <p>(A) Section 91</p> <p>(B) Section 92</p> <p>(C) Section 93</p> <p>(D) Section 94</p>                                                                                                                                          | <p>15. दण्ड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अन्तर्गत तलाशी वारण्ट जारी किया जाता है :</p> <p>(A) धारा 91</p> <p>(B) धारा 92</p> <p>(C) धारा 93</p> <p>(D) धारा 94</p>                                                                                                                                                            |
| <p>16. Section 95 of Cr.P.C authorized to whom to declare certain publication forfeited to government :</p> <p>(A) Session Court</p> <p>(B) High Court</p> <p>(C) State Government</p> <p>(D) District Magistrate</p>                                                                                    | <p>16. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 किसे अधिकृत करती है, कि वह कुछ प्रकाशनों को सरकार के पक्ष में अभिग्रहीत कर सके :</p> <p>(A) सत्र न्यायालय</p> <p>(B) उच्च न्यायालय</p> <p>(C) राज्य सरकार</p> <p>(D) जिला मजिस्ट्रेट</p>                                                                                                 |
| <p>17. When any person is arrested and interrogated by the police, he shall be entitled to meet :</p> <p>(A) An advocate of his choice</p> <p>(B) An advocate of from a panel prepared by district magistrate</p> <p>(C) During interrogation no advocate is permitted</p> <p>(D) Only (A) &amp; (B)</p> | <p>17. जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और पूछताछ की जाती है, तब ऐसे व्यक्ति को मिलने का हक होगा :</p> <p>(A) अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का</p> <p>(B) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार पैनल, में से, किसी अधिवक्ता से</p> <p>(C) पूछताछ के दौरान किसी अधिवक्ता से मिलने का प्रावधान नहीं</p> <p>(D) केवल (A) और (B)</p> |
| <p>18. A magistrate whether executive or judicial, may arrest or order to arrest any offender who commit any offence in his presence, but arrest shall be :</p> <p>(A) Only for cognizable offence</p> <p>(B) Only for compoundable offence</p> <p>(C) For any offence</p> <p>(D) None of the above</p>  | <p>18. कोई मजिस्ट्रेट चाहे वह कार्यपालिकीय हो या न्यायिक किसी अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है, जिसने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसा अपराध किया है जो :</p> <p>(A) केवल संज्ञेय अपराध हो</p> <p>(B) केवल शमनीय अपराध हो</p> <p>(C) कोई भी अपराध हो</p> <p>(D) उपरोक्त में से कोई नहीं</p>       |

19. The State Government shall establish a police control room :
- (A) In every District level
  - (B) In State level
  - (C) Both District level and State level
  - (D) District, State and India level
20. Any police officer may without an order from a magistrate and without a warrant, arrest any person :
- (A) Only when such person commit, in the presence of a police officer, a cognizable offence
  - (B) Only when such person obstruct a police officer, in execution of his duty
  - (C) When such person is reasonably suspected of being a deserter of any Armed Forces of the union
  - (D) All of the above
21. Every person who is aware of the commission of any offence, shall give information to the nearest magistrate or police officer of such commission :
- (A) This provision is concern with all offences punishable under Indian penal code
  - (B) This provision is concern with all offences punishable under Indian penal code and any other penal law time being in force
  - (C) Only selected offences mention in section 39 of Cr. P.C
  - (D) All of the above

19. राज्य सरकार पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित करेगी :
- (A) प्रत्येक जिला स्तर पर
  - (B) राज्य स्तर पर
  - (C) जिला स्तर और राज्य स्तर दोनों पर
  - (D) जिला, राज्य और देश स्तर पर
20. एक पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश और बिना वारण्ट के, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है :
- (A) जब ऐसा व्यक्ति पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है
  - (B) जब ऐसा व्यक्ति पुलिस को, पुलिस के कार्यों के निष्पादन में बाधा पहुँचाता है
  - (C) जब ऐसे व्यक्ति पर सशस्त्र बल के अभित्याजक होने का युक्ति युक्त सन्देह है
  - (D) उपरोक्त सभी में
21. प्रत्येक व्यक्ति जिसको किसी अपराध के किये जाने की सूचना है, वह ऐसी सूचना निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को देगा :
- (A) यह प्रावधान भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय सभी अपराधों के लिये है
  - (B) यह प्रावधान भारतीय दण्ड संहिता और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य दण्ड कानूनों के सम्बंध में है
  - (C) केवल उन्हीं चुने हुये अपराधों के सम्बन्ध में है जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 39 में है
  - (D) उपरोक्त सभी मामलों में

22. Find true sentence :

- (A) A sessions judge may pass any sentence authorized by law
- (B) A sessions judge may pass any sentence authorized by law, but any sentence of death shall be subject to the confirmation of high court
- (C) A Assistant sessions judge may pass any sentence authorized by law, but any sentence of death shall be subject to the confirmation of high court
- (D) All of the statement are true

23. A magistrate of first class may pass a sentence of :

- (A) Three years or fine not exceeding ten thousand or both
- (B) Ten years of fine not exceeding fifty thousand or both
- (C) One years of fine not exceeding ten thousand or both
- (D) All of the above

22. सत्य कथन छाँटिये :

- (A) सत्र न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दण्ड दे सकता है
- (B) सत्र न्यायालय कोई दण्ड दे सकता है लेकिन उसके द्वारा दिया गया मृत्यु दण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट लिये जाने के अधीन प्रभावी होगा
- (C) सहायक सत्र न्यायालय कोई भी दण्ड दे सकता है लेकिन उसके द्वारा दिया गया मृत्यु दण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट दिये जाने के अधीन प्रभावी होगा
- (D) उपरोक्त सभी कथन सही है।

23. प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट दण्ड दे सकता है :

- (A) 3 वर्ष का कारावास या दस हजार तक का जुर्माना या दोनों
- (B) 10 वर्ष तक का कारावास पचास हजार तक का जुर्माना या दोनों
- (C) एक वर्ष तक का कारावास या दस हजार तक का जुर्माना या दोनों
- (D) उपरोक्त सभी

24. The Central Government or the State Government may appoint a person as a special public prosecutor :
- (A) Who has been practitioner as an advocate not less than ten years
  - (B) Who has been practitioner as an advocate not less than seven years
  - (C) Who has been practitioner as an advocate not less than three years
  - (D) Who has been practitioner as an advocate not less than five years
25. Which section of Cr. P.C deal with courts of metropolitan magistrate :
- (A) Section 16
  - (B) Section 11
  - (C) Section 12
  - (D) Section 20
26. The State Government may, declare that any area in State whose population exceeds ..... Shall be a metropolitan area :
- (A) Ten million
  - (B) One million
  - (C) One billion
  - (D) None of the above
24. केन्द्र सरकार या राज्य सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है जो :
- (A) जिसने 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो
  - (B) जिसने 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो
  - (C) जिसने 3 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो
  - (D) जिसने 5 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो
25. दण्ड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा महानगर मजिस्ट्रेट से सम्बंधित है :
- (A) धारा 16
  - (B) धारा 11
  - (C) धारा 12
  - (D) धारा 20
26. राज्य सरकार घोषणा कर सकती है कि राज्य का कोई क्षेत्र जिसकी जनसंख्या ..... से अधिक हो वह महानगर क्षेत्र होगा :
- (A) दस मिलियन
  - (B) एक मिलियन
  - (C) एक बिलियन
  - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>27. The State Government shall establish a court of sessions for :</p> <p>(A) For every District division</p> <p>(B) For every State division</p> <p>(C) For both (A) &amp; (B)</p> <p>(D) Every sessions division</p>                                                                                                                        | <p>27. राज्य सरकार एक सत्र न्यायालय को स्थापित करेगी :</p> <p>(A) प्रत्येक जिला खण्ड के लिये</p> <p>(B) प्रत्येक राज्य खण्ड के लिये</p> <p>(C) (A) और (B) दोनों के लिये</p> <p>(D) प्रत्येक सेशन खण्ड के लिये</p>                                                                                                                                          |
| <p>28. Summon case means :</p> <p>(A) A case relating to an offence, and not being a warrant case</p> <p>(B) A case relating to an offence, punishable with imprisonment exceeding two years</p> <p>(C) A case relating to an offence, punishable with imprisonment for life or imprisonment exceeding two years</p> <p>(D) All of the above</p> | <p>28. समन मामले से तात्पर्य है :</p> <p>(A) एक ऐसा मामला जो किसी अपराध से सम्बंधित है और वारण्ट मामला नहीं है</p> <p>(B) एक ऐसा मामला जो किसी अपराध से सम्बंधित है जिसके लिए 2 वर्ष से अधिक दण्ड हो सकता है</p> <p>(C) एक ऐसा मामला जो किसी अपराध से सम्बंधित है जिसके लिए आजीवन कारावास या दो वर्ष से अधिक का दण्ड हो सकता है</p> <p>(D) उपरोक्त सभी</p> |
| <p>29. Under which section of CR. P.C the term “Victim” defined :</p> <p>(A) Section 2(w)</p> <p>(B) Section 2(w a)</p> <p>(C) Section 2(w b)</p> <p>(D) Section 2(w c)</p>                                                                                                                                                                      | <p>29. दण्ड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में ‘पीड़ित’ को परिभाषित किया गया है :</p> <p>(A) धारा 2(ब)</p> <p>(B) धारा 2(बक)</p> <p>(C) धारा 2(ब ख)</p> <p>(D) धारा 2(ब ग)</p>                                                                                                                                                                               |

30. Under Cr.P.C "Police Report" means :
- (A) A report forwarded by a police officer to a magistrate under sub section 2 of section 173
  - (B) A report forwarded by a police officer to a magistrate under section 151
  - (C) A report forwarded by a police officer to a magistrate under section 176
  - (D) A report forwarded by a police officer to SSP
31. Public prosecutor means :
- (A) Any person appointed under section 23
  - (B) Any person appointed under section 24
  - (C) Any person appointed under section 25
  - (D) Any person appointed under section 26
32. Non cognizable offence means :
- (A) A police officer has authority to arrest without warrant
  - (B) A police officer has no authority to arrest without warrant
  - (C) An offence punishable with imprisonment exceeding three years
  - (D) Both (A) & (C)
30. दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत "पुलिस रिपोर्ट" से तात्पर्य है :
- (A) रिपोर्ट जो पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को धारा 173 की उपधारा (2) के तहत भेजी जाती है
  - (B) रिपोर्ट जो पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को धारा 151 के अन्तर्गत भेजी जाती है
  - (C) रिपोर्ट जो पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को धारा 176 के तहत भेजी जाती है
  - (D) रिपोर्ट जो पुलिस अधिकारी द्वारा एस० एस० पी० को भेजी जाती है
31. लोक अभियोजक से तात्पर्य है :
- (A) ऐसा व्यक्ति जो धारा 23 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है
  - (B) ऐसा व्यक्ति जो धारा 24 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है
  - (C) ऐसा व्यक्ति जो धारा 25 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है
  - (D) ऐसा व्यक्ति जो धारा 26 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है
32. असंज्ञेय अपराध से तात्पर्य है :
- (A) पुलिस अधिकारी को बिना वारण्ट के गिरफ्तार करने का प्राधिकार है
  - (B) पुलिस अधिकारी को बिना वारण्ट के गिरफ्तार करने का प्राधिकार नहीं है
  - (C) ऐसा अपराध जो 3 वर्ष से अधिक के दण्ड से दण्डनीय हो
  - (D) (A) और (C) दोनों

33. "Investigation" mean shall the proceeding under Cr.P.C :

- (A) For the collection of evidence by a police officer
- (B) For the collection of evidence by a police officer and judicial magistrate
- (C) Any proceeding in the course of which evidence may be legally taken on path
- (D) All of the above

34. Complaint means :

- (A) Any allegation made orally or in writing to a police officer of police station
- (B) Any allegation made orally or in writing to a magistrate with a view to taking a action under Cr.P.C
- (C) Any allegation made orally or in writing to a police officer or magistrate
- (D) All of the above

35. "Bailable offence" means :

- (A) An offence which is punishable with the imprisonment less than three years
- (B) An offence which is punishable with the imprisonment less than two years
- (C) Which is shown as bailable in the first schedule
- (D) Which is shown as bailable in the second schedule

33. अन्वेषण से तात्पर्य है, वह सभी कार्यवाहियाँ जो दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत की जाती हैं :

- (A) पुलिस अधिकारी द्वारा साक्ष्य एकत्र करने के लिए
- (B) पुलिस अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट द्वारा साक्ष्य एकत्र करने के लिए
- (C) कोई कार्यवाही जिसके अनुकूल से साक्ष्य शपथ पर लिया जा सकता है
- (D) उपरोक्त सभी

34. परिवाद से तात्पर्य है :

- (A) कोई अभिकथन, चाहे लिखित हो या मौखिक, पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी को दिया गया हो
- (B) कोई अभिकथन जो लिखित हो या मौखिक मजिस्ट्रेट से दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन कार्यवाही किये जाने के लिये दिया गया हो
- (C) कोई अभिकथन जो मौखिक हो या लिखित पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दिया गया हो
- (D) उपरोक्त सभी

35. जमानती अपराध से तात्पर्य है :

- (A) ऐसा अपराध जो 3 वर्ष से कम की अवधि से दण्डनीय हो
- (B) ऐसा अपराध जो 2 वर्ष से कम की अवधि से दण्डनीय हो
- (C) जिसको प्रथम अनुसूची में जमानतीय होना दर्शित किया गया है
- (D) जिसको द्वितीय अनुसूची में जमानतीय होना दर्शित किया गया है

36. Under which section of Cr.P.C definition of cognizable offence is given :
- (A) Section 2(a)  
(B) Section 2(b)  
(C) Section 2(c)  
(D) Section 2(d)
37. The provision of criminal procedure code shall apply to Jammu and Kashmir from :
- (A) 5<sup>th</sup> August 2019  
(B) 31<sup>st</sup> October 2019  
(C) 1<sup>st</sup> January 2020  
(D) 2<sup>nd</sup> October 2020
38. The first criminal procedure code was passed in the year of :
- (A) 1882  
(B) 1898  
(C) 1908  
(D) 1935
39. The code of criminal procedure, 1973 contain :
- (A) 484 section, 37 chapter, 2 schedule  
(B) 484 section, 37 chapter, 1 schedule  
(C) 483 section, 37 chapter, 1 schedule  
(D) 483 section, 36 chapter, 1 schedule
36. दण्ड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराध की परिभाषा दी गई है :
- (A) धारा 2(क)  
(B) धारा 2(ख)  
(C) धारा 2(ग)  
(D) धारा 2(घ)
37. दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे :
- (A) 5 अगस्त 2019  
(B) 31 अक्टूबर 2019  
(C) 1 जनवरी 2020  
(D) 2 अक्टूबर 2020
38. पहली दण्ड प्रक्रिया संहिता किस वर्ष पास की गई थी :
- (A) 1882  
(B) 1898  
(C) 1908  
(D) 1935
39. दण्ड प्रक्रिया संहिता में शामिल है :
- (A) 484 धारायें, 37 अध्याय, 2 अनुसूची  
(B) 484 धारायें, 37 अध्याय, 1 अनुसूची  
(C) 483 धारायें, 37 अध्याय, 1 अनुसूची  
(D) 483 धारायें, 36 अध्याय, 1 अनुसूची

40. A person under Cr.P.C can be arrested by :

- (A) Police officer and Magistrate
- (B) Police officer and Private person
- (C) Police officer, Magistrate and Private person
- (D) Only by police officer

41. Find true statement :

- (A) A summon-case can be converted into a warrant case
- (B) A warrant-case cannot be converted into summon-case
- (C) Both statement are true
- (D) None of the above

42. Find true statement :

- (A) Object of investigation is to determine the truth or falsity of certain facts
- (B) Object of inquiry is to collect the evidence
- (C) Both (A) & (B) are true
- (D) Both (A) & (B) are false

40. दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत एक व्यक्ति गिरफ्तार किया जा सकता है :

- (A) पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट द्वारा
- (B) पुलिस अधिकारी और प्राइवेट व्यक्ति द्वारा
- (C) पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट और प्राइवेट व्यक्ति द्वारा
- (D) केवल पुलिस अधिकारी द्वारा

41. सत्य कथन चुनिये :

- (A) समन मामले को वारण्ट मामले में बदला जा सकता है
- (B) वारण्ट मामले को समन मामले में बदला नहीं जा सकता है
- (C) दोनों कथन सही हैं
- (D) उपरोक्त दोनों में से कोई कथन सही नहीं

42. सही कथन चुनिये :

- (A) अन्वेषण का उद्देश्य कुछ तथ्यों की सत्यता या असत्यता का पता लगाना है
- (B) जाँच का उद्देश्य साक्ष्य को इकट्ठा करना है
- (C) दोनों (A) और (B) सही हैं
- (D) दोनों कथन (A) और (B) गलत हैं

43. Which statement is not true :
- Inquiry is a judicial proceeding
  - Investigation is a judicial proceeding
  - Inquiry must be conducted by magistrate
  - Inquiry is to be conducted before framing the charges
44. The subject matter of criminal procedure is subject matter of :
- Union list
  - State list
  - Concurrent list
  - None of the above
45. The code of criminal procedure can be amended by :
- Parliament
  - State legislature
  - Both of the above
  - Parliament with special majority
46. Under which section of Cr.P.C there is provision of security for good behavior from habitual offenders :
- Section 106
  - Section 107
  - Section 108
  - Section 110
43. कौन सा कथन सही नहीं है :
- जाँच न्यायिक कार्यवाही है
  - अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही है
  - जाँच आवश्यक रूप से मजिस्ट्रेट द्वारा की जानी चाहिए
  - जाँच आरोप निर्वाचित करने से पहले की जाती है
44. दण्ड प्रक्रिया संहिता, विषय वस्तु है :
- संघ सूची का
  - राज्य सूची का
  - समवर्ती सूची का
  - उपरोक्त में से कोई नहीं
45. दण्ड प्रक्रिया संहिता को संशोधित किया जा सकता है :
- संसद द्वारा
  - राज्य विधानमण्डल द्वारा
  - उपरोक्त दोनों के द्वारा
  - संसद द्वारा विशेष बहुमत से
46. दण्ड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अन्तर्गत अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिये प्रतिभूति लिये जाने का प्रावधान है :
- धारा 106
  - धारा 107
  - धारा 108
  - धारा 110

47. Which section of Cr.P.C. related with maintenance of wives, children and parent :
- (A) Section 124  
(B) Section 125  
(C) Section 126  
(D) Section 127
48. In case of maintenance of wife the term "Wife" means :
- (A) A women who has been divorced by her husband  
(B) A women who has obtained a divorce from her husband  
(C) Both (A) & (B)  
(D) None of the above
49. In which one of the following cases wife, shall not be entitled for allowance for the maintenance :
- (A) If she is living in adultery  
(B) If without sufficient reason she refuses to live with her husband  
(C) If they are living separately by mutual consent  
(D) All of the above cases
50. Which section of Cr. P.C is related with the 'Alteration in allowance of maintenance' cases :
- (A) 125 (2)  
(B) 126  
(C) 127  
(D) 128
47. दण्ड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा माता-पिता, बच्चों और पत्नी के भरण-पोषण से सम्बंधित है :
- (A) धारा 124  
(B) धारा 125  
(C) धारा 126  
(D) धारा 127
48. पत्नी के भरण-पोषण के मामले में "पत्नी" का तात्पर्य है :
- (A) पत्नी जिसको उसके पति ने तलाक दे दिया है  
(B) पत्नी जिसने अपने पति से तलाक ले लिया है  
(C) (A) और (B) दोनों  
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
49. निम्न में से किस मामले/किन मामलों में पत्नी भरण-पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं होगी :
- (A) यदि वह जारता की दशा में रह रही है  
(B) यदि बिना पर्याप्त कारण के अपने पति के साथ रहने से मना कर देती है  
(C) यदि वह आपसी सहमति से अलग-अलग रह रहे हैं  
(D) उपरोक्त सभी मामलों में
50. निम्न में से दण्ड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा 'गुजारे भत्ते में परिवर्तन' से सम्बंधित है :
- (A) धारा 125(2)  
(B) धारा 126  
(C) धारा 127  
(D) धारा 128

51. Criminal procedure law is a .....  
 (A) Substantive Criminal Law  
 (B) Local Procedural Law  
 (C) Criminal Procedure Law  
 (D) Personal Criminal Law
52. In which cases FIR can be lodged :  
 (A) In non-bailable offences  
 (B) In cognizable offences  
 (C) Both of the above  
 (D) In bailable, non bailable and cognizable offences
53. In nuisance cases which magistrate is authorized for removal of nuisance :  
 (A) District magistrate or sub divisional magistrate  
 (B) Any executive magistrate specially empowered by State Government  
 (C) Both (A) & (B)  
 (D) Only judicial magistrate
54. Which section of Cr.P.C is related with conditional order for removal of nuisance :  
 (A) 130  
 (B) 133  
 (C) 145  
 (D) 146
51. दण्ड प्रक्रिया संहिता है .....  
 (A) सारभूत दण्ड विधि  
 (B) स्थानीय प्रक्रिया विधि  
 (C) दण्ड प्रक्रिया विधि  
 (D) व्यक्तिगत दण्ड विधि
52. किन मामलों में "प्रथम सूचना रिपोर्ट" दर्ज होती है :  
 (A) गैर जमानतीय अपराधों में  
 (B) संज्ञेय अपराधों में  
 (C) उपरोक्त दोनों में  
 (D) जमानतीय, गैर जमानतीय और संज्ञेय मामलों में
53. न्यूसेन्स के मामलों में, कौन सा मजिस्ट्रेट न्यूसेन्स हटाने का आदेश दे सकता है :  
 (A) जिला मजिस्ट्रेट और उप-खण्ड मजिस्ट्रेट  
 (B) कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिसको राज्य सरकार द्वारा विशेषतया सशक्त किया गया हो  
 (C) (A) और (B) दोनों में ही  
 (D) केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट
54. दण्ड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा न्यूसेन्स हटाने के सशर्त आदेश दिये जाने से सम्बन्धित है :  
 (A) धारा 130  
 (B) धारा 133  
 (C) धारा 145  
 (D) धारा 146

55. Who is authorized to issue orders under section 144 Cr.P.C :
- Court of session
  - Executive magistrate
  - Judicial magistrate
  - Superintendent of police
56. FIR may be used as :
- Confession
  - Consent
  - Dying declaration
  - None of the above
57. Which one is order of arrest :
- Summon
  - Warrant
  - Attachment
  - FIR
58. A private person can arrest a :
- Proclaimed offender
  - A person who commit in his presence non cognizable offence
  - A person who commit in his presence non bailable and non cognizable offence
  - None of the above
59. Protection of members of the Armed Forces from arrest is provided under section :
- Section 43
  - Section 44
  - Section 45
  - Section 46
55. धारा 144 के अन्तर्गत कौन आदेश जारी करने के लिये सशक्त है :
- सत्र न्यायालय
  - कार्यपालक मजिस्ट्रेट
  - न्यायिक मजिस्ट्रेट
  - पुलिस अधीक्षक
56. प्रथम सूचना रिपोर्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है :
- सस्वीकृति में
  - सहमति में
  - मृत्यु कालिक कथन
  - उपरोक्त में से कोई नहीं
57. निम्न में से कौन सा गिरफ्तारी का आदेश है :
- समन
  - वारण्ट
  - कुर्की
  - प्रथम सूचना रिपोर्ट
58. एक प्राईवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है :
- उद्घोषित अपराधी को
  - ऐसे व्यक्ति को जिसने उसकी उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया हो
  - ऐसा व्यक्ति, जिसने उसकी उपस्थिति में अजमानतीय और असंज्ञेय अपराध किया है
  - उपरोक्त में से कोई नहीं
59. सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा किस धारा के अन्तर्गत प्रदान की गई है:
- धारा 43
  - धारा 44
  - धारा 45
  - धारा 46

60. If an officer in charge of a police station refuses to record FIR, the informant may send the substance of such information to :
- (A) Session court having jurisdiction
  - (B) District magistrate having jurisdiction
  - (C) Superintendent of police
  - (D) All of the above
61. Which one of the section is not related with search by police :
- (A) Section 47
  - (B) Section 100
  - (C) Section 165
  - (D) Section 178
62. Which section of Cr.P.C deal with the procedure when investigation cannot be completed in twenty four hour :
- (A) Section 177
  - (B) Section 167
  - (C) Section 200
  - (D) Section 57
63. Under Cr.P.C who is authorized to take cognizance of offence :
- (A) First class magistrate
  - (B) Second class magistrate if specially empowered in this behalf
  - (C) Court of session
  - (D) Both (A) and (B)

60. यदि थाने का भारसाधक अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने से मना कर दे तब ऐसा व्यक्ति ऐसी सूचना का सार भेज सकेगा :
- (A) अधिकारिता रखने वाले सत्र न्यायालय को
  - (B) जिला मजिस्ट्रेट जो अधिकारिता रखता हो
  - (C) पुलिस अधीक्षक को
  - (D) उपरोक्त सभी को
61. निम्न में से कौन सी एक धारा पुलिस द्वारा तलाशी लिये जाने से सम्बन्धित नहीं है :
- (A) धारा 47
  - (B) धारा 100
  - (C) धारा 165
  - (D) धारा 178
62. दण्ड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा, जब अन्वेषण 24 घण्टे में पूरा न हो पाये, तब कि प्रक्रिया से सम्बन्धित है :
- (A) धारा 177
  - (B) धारा 167
  - (C) धारा 200
  - (D) धारा 57
63. दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कौन अपराध का संज्ञान लेने के लिये सक्षम है :
- (A) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
  - (B) द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट यदि उसे संज्ञान लेने के लिये विशेषतया सशक्त किया गया है
  - (C) सत्र न्यायालय
  - (D) (A) और (B) दोनों

64. The cognizance of offence shall not be taken on :
- (A) Upon complaint of fact constitute offence
  - (B) Upon a police report of fact constitute offence
  - (C) Upon own knowledge that such offence has been committed by magistrate
  - (D) FIR
65. Court shall take cognizance of an offence relating to marriage punishable under chapter 20 of IPC only :
- (A) Upon FIR
  - (B) Upon complaint made by aggrieved person
  - (C) Both (A) & (C)
  - (D) None of the above
66. Which section of Cr. P.C related with examination of complainant :
- (A) 199
  - (B) 200
  - (C) 201
  - (D) 202
67. Procedure for session trial is provided in which sections of Cr. P.C :
- (A) 225-230
  - (B) 225-237
  - (C) 238-246
  - (D) 244-250

64. अपराध का संज्ञान किस पर नहीं लिया जायेगा :
- (A) ऐसे तथ्यों के परिवाद पर जो अपराध का गठन करते हैं
  - (B) ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर जो अपराध का गठन करते हैं
  - (C) मजिस्ट्रेट द्वारा अपने स्वतः ज्ञान पर कि ऐसा अपराध गठित हुआ है
  - (D) प्रथम सूचना रिपोर्ट
65. न्यायालय किसी ऐसे अपराध का संज्ञान, जो भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 20 में वर्णित, वैवाहिक मामलों से सम्बन्धित है :
- (A) प्रथम सूचना रिपोर्ट पर लेगा
  - (B) व्यक्ति द्वारा किये परिवाद पर लेगा
  - (C) (A) और (C) दोनों
  - (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
66. इनमें से दण्ड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा परिवादी की परीक्षा से सम्बन्धित है :
- (A) धारा 199
  - (B) धारा 200
  - (C) धारा 201
  - (D) धारा 202
67. सत्र न्यायालय द्वारा विचारण, दण्ड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धाराओं में प्रावधानित है :
- (A) धारा 225-230
  - (B) धारा 225-237
  - (C) धारा 238-246
  - (D) धारा 244-250

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>68. Any offence is bailable or non bailable is mentioned in :</p> <p>(A) Section 436</p> <p>(B) Section 437</p> <p>(C) Schedule first</p> <p>(D) Schedule second</p> <p>69. The unlawful assembly can be ordered to disperse by :</p> <p>(A) Executive Magistrate</p> <p>(B) Judicial Magistrate</p> <p>(C) Chief Judicial Magistrate</p> <p>(D) All of the above</p> <p>70. Form and duration of arrest warrant are mentioned are :</p> <p>(A) Section 60</p> <p>(B) Section 70</p> <p>(C) Section 82</p> <p>(D) Section 83</p> <p>71. Which statement is not true regarding FIR :</p> <p>(A) FIR is a substantive evidence</p> <p>(B) FIR is not a substantive evidence</p> <p>(C) Can be used for collaboration the informant in the court</p> <p>(D) Can be used to contradict informant in the court</p> <p>72. Under which section a magistrate empowered to take cognizance may order for investigation :</p> <p>(A) Sub section(3) of section 154</p> <p>(B) Section 157</p> <p>(C) Sub section (3) of section 156</p> <p>(D) Section 158</p> | <p>68. कोई अपराध जमानतीय है या अजमानतीय, प्रावधानित है :</p> <p>(A) धारा 436 में</p> <p>(B) धारा 437 में</p> <p>(C) प्रथम अनुसूची में</p> <p>(D) द्वितीय अनुसूची में</p> <p>69. विधि विरुद्ध जमाव को बिखर जाने का आदेश दिया जा सकेगा :</p> <p>(A) कार्यपालक मजिस्ट्रेट</p> <p>(B) न्यायिक मजिस्ट्रेट</p> <p>(C) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट</p> <p>(D) उपरोक्त सभी के द्वारा</p> <p>70. गिरफ्तारी वारण्ट का प्रारूप और अवधि के बारे में प्रावधान है :</p> <p>(A) धारा 60</p> <p>(B) धारा 70</p> <p>(C) धारा 82</p> <p>(D) धारा 83</p> <p>71. प्रथम सूचना रिपोर्ट के सम्बन्ध में – निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है :</p> <p>(A) प्रथम सूचना रिपोर्ट सारभूत साक्ष्य है</p> <p>(B) प्रथम सूचना रिपोर्ट सारभूत साक्ष्य नहीं है</p> <p>(C) सूचना देने वाले के साक्ष्य की सम्पुष्टि के लिये प्रयोग किया जा सकता है</p> <p>(D) सूचना देने वाले के साक्ष्य के खण्डन के लिये न्यायालय में प्रयोग की जा सकती है</p> <p>72. किस धारा के अन्तर्गत, मजिस्ट्रेट जो अपराध का संज्ञान लेने के लिये प्राधिकृत है, अन्वेषण करने का आदेश दे सकता है :</p> <p>(A) धारा 154 की उपधारा(3) के तहत</p> <p>(B) धारा 157 के तहत</p> <p>(C) धारा 156 की उपधारा(3) के तहत</p> <p>(D) धारा 158 के तहत</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

73. In Shah Bano VS Mohd Ahmad Khan case held :

- (A) Section 125 of Cr.P.C is not applicable to Muslims
- (B) Section 125 of Cr.P.C is applicable to Muslims
- (C) Muslims women shall be governed by their personal law
- (D) Waqf Board is responsible for the maintenance of Muslim women

74. In case of summary trial no sentence of imprisonment exceeding..... shall be passed :

- (A) Six month
- (B) One year
- (C) Three month
- (D) Two years

75. The procedure for summary trial shall be followed :

- (A) The procedure followed by court of session
- (B) The procedure followed by magistrate court case instituted on police report
- (C) The procedure followed by magistrate in case instituted otherwise than police report
- (D) The procedure followed in trial of summon cases

73. शाहबानो बनाम मोहम्मद अहमद खान के मामले में निर्धारित किया गया :

- (A) धारा 125 (Cr.P.C) मुस्लिम पर लागू नहीं
- (B) धारा 125 (Cr.P.C) मुस्लिम पर लागू
- (C) मुस्लिम महिलायें अपनी व्यक्तिगत विधि से शासित होंगी
- (D) मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण के लिये वक्फ बोर्ड जिम्मेदार है

74. संक्षिप्त विचारण के मामलों में ऐसा दण्ड जो .. ..... तक की अवधि तक का हो दिया जायेगा :

- (A) 6 माह तक का
- (B) 1 वर्ष तक का
- (C) 3 माह तक का
- (D) 2 वर्ष तक का

75. संक्षिप्त विचारण के मामलों में प्रक्रिया का पालन किया जायेगा, जो प्रक्रिया :

- (A) सेशन न्यायालय द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया का
- (B) वह प्रक्रिया जो मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामलों में करता है
- (C) वह प्रक्रिया जो मजिस्ट्रेट, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामलों में करता है
- (D) वह प्रक्रिया जो समन मामलों के विचारण में अनुसरण की जाती है

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>76. Provision relating to appeal from conviction is provided in :</p> <p>(A) Section 373</p> <p>(B) Section 374</p> <p>(C) Section 375</p> <p>(D) Section 378</p>                                                                                                                      | <p>76. दोषसिद्धि से अपील से सम्बन्धित प्रावधान है :</p> <p>(A) धारा 373</p> <p>(B) धारा 374</p> <p>(C) धारा 375</p> <p>(D) धारा 378</p>                                                                                                                                          |
| <p>77. A person convicted under section 325 may appeal :</p> <p>(A) Chief judicial Magistrate</p> <p>(B) Court of Session</p> <p>(C) High Court</p> <p>(D) District Magistrate</p>                                                                                                        | <p>77. एक व्यक्ति जो धारा 325 के अन्तर्गत दण्डित किया गया है, अपील कर सकता है :</p> <p>(A) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को</p> <p>(B) सेशन न्यायालय को</p> <p>(C) उच्च न्यायालय को</p> <p>(D) जिला मजिस्ट्रेट को</p>                                                                 |
| <p>78. If a Assistant Session judge convict a person with imprisonment of three year convicted person may appeal :</p> <p>(A) High Court</p> <p>(B) Court of Session</p> <p>(C) District Magistrate</p> <p>(D) In such case no provision for appeal</p>                                   | <p>78. यदि सहायक सेशन न्यायालय किसी व्यक्ति को 3 वर्ष तक के लिये दण्डित करता है, दोषसिद्ध व्यक्ति अपील कर सकता है :</p> <p>(A) उच्च न्यायालय में</p> <p>(B) सेशन न्यायालय में</p> <p>(C) जिला मजिस्ट्रेट में</p> <p>(D) ऐसे मामले में अपील का कोई प्रावधान नहीं है</p>           |
| <p>79. Any person who has been ordered under 117 to give security for keeping the peace or for good behavior may appeal in court of :</p> <p>(A) District Magistrate</p> <p>(B) Chief judicial magistrate</p> <p>(C) Court of session</p> <p>(D) In such case no provision for appeal</p> | <p>79. कोई व्यक्ति जिसे धारा 117 के तहत परिशक्ति बनाये रखने या सदाचारी बने रहने का आदेश दिया गया है, अपील कर सकता है:</p> <p>(A) जिला मजिस्ट्रेट को</p> <p>(B) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को</p> <p>(C) सेशन न्यायालय को</p> <p>(D) ऐसे मामले में अपील का कोई प्रावधान नहीं है</p> |

80. In which of the following cases the appeal shall not lie :

- (A) Where High Court passes a sentence not exceeding six month
- (B) Where Court of Session passes a sentence not exceeding three month
- (C) Where Metropolitan Magistrate passes a sentence not exceeding three month
- (D) In all of the above cases

81. Reference is made to :

- (A) High court
- (B) Supreme court
- (C) Court of session
- (D) All of the above

82. The power of revision is concerned with :

- (A) High Court
- (B) Session Court
- (C) High Court and Supreme Court
- (D) High court and Session court

83. Which provision of Cr.P.C related with "Reference" :

- (A) Section 394
- (B) Section 395
- (C) Section 396
- (D) Section 397

80. इनमें से किस मामले में अपील नहीं की जा सकेगी :

- (A) जब उच्च न्यायालय कोई ऐसा दण्ड पारित करता है जो 6 माह से अधिक का नहीं है
- (B) जब सत्र न्यायालय ऐसा दण्ड पारित करता है जो 3 माह से अधिक का नहीं है
- (C) महानगर मजिस्ट्रेट ऐसा दण्ड पारित करता जो 3 माह से अधिक का नहीं है
- (D) उपरोक्त सभी मामलों में

81. निर्देश दिया जाता है :

- (A) उच्च न्यायालय को
- (B) उच्चतम न्यायालय का
- (C) सत्र न्यायालय का
- (D) उपरोक्त सभी को

82. पुनरीक्षण की शक्ति सम्बन्धित है :

- (A) उच्च न्यायालय से
- (B) सत्र न्यायालय से
- (C) उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से
- (D) उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय से

83. कौन सा प्रावधान निर्देश से सम्बन्धित है :

- (A) धारा 394
- (B) धारा 395
- (C) धारा 396
- (D) धारा 397

84. Which provision of Cr.P.C related with "Revision" :
- (A) Section 394  
(B) Section 397  
(C) Section 395  
(D) Section 396
85. Which of the following magistrate is empowered to try cases summarily :
- (A) Chief Judicial Magistrate  
(B) Metropolitan Magistrate  
(C) Any first class Magistrate especially empowered by High Court  
(D) All of the above
86. Which of the following cases may be tried summarily :
- (A) Offence not exceeding the imprisonment of two years  
(B) Offence of theft under section 379, 380, 381  
(C) Offence of robbery, extortion  
(D) Both (A) and (B)
87. Which of the following section is related with the summary trial :
- (A) Section 260-265  
(B) Section 250-260  
(C) Section 260-269  
(D) Section 250-255
84. दण्ड प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान पुनरीक्षण से सम्बन्धित है :
- (A) धारा 394  
(B) धारा 397  
(C) धारा 395  
(D) धारा 396
85. निम्न में से कौन सा मजिस्ट्रेट मामलों का संक्षिप्त विचारण करने के लिये सशक्त है :
- (A) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
(B) महानगर मजिस्ट्रेट  
(C) कोई भी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जिसको उच्च न्यायालय विशेषतः सशक्त करें  
(D) उपरोक्त सभी
86. निम्न में से कौन से मामलों को संक्षिप्त विचारित किया जा सकता है :
- (A) अपराध जो 2 वर्ष से अधिक के दण्ड से दण्डनीय नहीं है  
(B) धारा 379, 380, 381 के अधीन चोरी के अपराध  
(C) लूट और उद्घापन के अपराध  
(D) (A) और (B) दोनों
87. निम्न में से कौन सी धारायें संक्षिप्त विचारण से सम्बन्धित हैं :
- (A) धारा 260-265  
(B) धारा 250-260  
(C) धारा 260-269  
(D) धारा 250-255

88. Which of the following section provide that the court shall grant bail in bailable offences :
- (A) Section 435  
(B) Section 436  
(C) Section 437  
(D) Section 439
89. "Bail is rule, jail is exception" this legal doctrine is laid down by :
- (A) Justice Patanjali Shastri  
(B) Justice Subbarao  
(C) Justice V Krishna Aiyer  
(D) None of the above
90. In which case supreme court laid down guidelines to be followed while making arrest :
- (A) State of Rajasthan Vs. Balchand  
(B) D.K. Basu Vs. State of West Bengal  
(C) Kharak Singh Vs. State of Uttar Pradesh  
(D) All of the above
91. Under which section High Court or Session Court are empowered with special power regarding bail :
- (A) 438  
(B) 439  
(C) 482  
(D) 437
88. निम्न में से कौन सी धारा प्रावधान करती है कि जमानतीय अपराध में जमानत दी जायेगी :
- (A) धारा 435  
(B) धारा 436  
(C) धारा 437  
(D) धारा 439
89. जमानत दिया जाना नियम है तथा जेल भेजा जाना अपवाद यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया था :
- (A) जस्टिस पतंजलि शास्त्री  
(B) जस्टिस सुब्बाराव  
(C) जस्टिस वी० कृष्णा अय्यर  
(D) इनमें से कोई नहीं
90. इनमें से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने गिरफ्तारी के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये :
- (A) राजस्थान राज्य बनाम बालचन्द  
(B) डी० के० बासु बनाम पश्चिम बंगाल  
(C) खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य  
(D) उपरोक्त सभी
91. किस धारा के तहत उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय को जमानत दिये जाने के सम्बन्ध में विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं :
- (A) धारा 438  
(B) धारा 439  
(C) धारा 482  
(D) धारा 437

92. Under which of section there is provision regarding "Anticipatory bail" :
- (A) Section 436  
(B) Section 437  
(C) Section 438  
(D) Section 439
93. When court granting anticipatory bail, which one fact shall not taken into consideration :
- (A) Nature and gravity of the offence  
(B) The antecedents of the applicant  
(C) The possibility of the applicant to free from justice  
(D) The wealth of the applicant
94. Find true statement :
- (A) For every distinct offence, there shall be separate charge  
(B) Three offences of same kind within year may be charged together  
(C) Both State are true  
(D) Statement (A) is true but (B) is false
95. Any court may alter or add to any of the charge at any time :
- (A) Before judgement is pronounced  
(B) Before charge is completely framed  
(C) Before case is committed for trail  
(D) Before issuing summon to witness
92. किस धारा के अन्तर्गत "गिरफ्तार किये जाने की आशंका" के आधार पर जमानत देने का प्रावधान है :
- (A) धारा 436  
(B) धारा 437  
(C) धारा 438  
(D) धारा 439
93. जब न्यायालय 'गिरफ्तार किये जाने की आशंका' के मामले में जमानत देता है, तब ऐसे मामले में किस तथ्य को ध्यान में नहीं रखेगा :
- (A) अपराध की प्रकृति और उसकी गम्भीरता  
(B) आवेदक के पूर्ववत्  
(C) आवेदक की न्याय से भागने की सम्भावना  
(D) आवेदक की सम्पत्ति
94. सत्य कथन को चुनिये :
- (A) प्रथक अपराध के लिये, प्रथक विचारण किया जायेगा  
(B) एक ही प्रकृति के 3 अपराध जो एक वर्ष के भीतर किये गये हो, एक साथ विचारित किये जा सकेगे  
(C) दोनों कथन सही हैं  
(D) कथन (A) सही हैं किन्तु (B) गलत है
95. कोई न्यायालय किसी आरोप को परिवर्तित कर सकेगी या किसी आरोप को जोड़ सकेगी :
- (A) निर्णय सुनाये जाने से पूर्व तक  
(B) आरोपों का पूर्णतया विरचित होने के पूर्व तक  
(C) मामले को विचारण के लिये सुपुर्द किये जाने के पूर्व तक  
(D) साक्षी को समन जारी होने से पूर्व तक

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>96. Provision regarding “Content of Charge” is mentioned in :<br/>         (A) Section 211<br/>         (B) Section 213<br/>         (C) Section 215<br/>         (D) Section 216</p> <p>97. “Charge” is defined in section :<br/>         (A) 2(a)<br/>         (B) 2(b)<br/>         (C) 2(c)<br/>         (D) 2(d)</p> <p>98. Every arrest warrant shall remain in force until it is executed, or cancelled by the :<br/>         (A) Session court<br/>         (B) High court<br/>         (C) Court which issued it<br/>         (D) Both (A) &amp; (B)</p> <p>99. Order issued under section 144 shall remain in force not more than:<br/>         (A) Two month<br/>         (B) Six month<br/>         (C) Three month<br/>         (D) One year</p> <p>100. Executive magistrate are appointed by :<br/>         (A) State Government<br/>         (B) High court<br/>         (C) Home ministry<br/>         (D) Central Government with the consent of State Government</p> | <p>96. आरोप की अर्न्तवस्तु से सम्बन्धित प्रावधान है :<br/>         (A) धारा 211 में<br/>         (B) धारा 213 में<br/>         (C) धारा 215 में<br/>         (D) धारा 216 में</p> <p>97. “आरोप” को परिभाषित किया गया है :<br/>         (A) धारा 2(क)<br/>         (B) धारा 2(ख)<br/>         (C) धारा 2(ग)<br/>         (D) धारा 2(घ)</p> <p>98. गिरफ्तारी का प्रत्येक वारण्ट तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक कि निष्पादित न कर दिया जाये या रद्द न कर दिया जाये .....<br/>         (A) सेशन न्यायालय द्वारा<br/>         (B) उच्च न्यायालय द्वारा<br/>         (C) वह न्यायालय जिसने जारी किया था<br/>         (D) (A) और (B) दोनों</p> <p>99. धारा 144 के अन्तर्गत जारी किया गया आदेश इस अवधि से अधिक प्रवर्तन में नहीं रहेगा :<br/>         (A) 2 माह<br/>         (B) 6 माह<br/>         (C) 3 माह<br/>         (D) 1 वर्ष</p> <p>100. कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की जाती है :<br/>         (A) राज्य सरकार द्वारा<br/>         (B) उच्च न्यायालय द्वारा<br/>         (C) गृह मंत्रालय द्वारा<br/>         (D) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार की सहमति से</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\*\*\*\*\*

## **Rough Work / रफ कार्य**

## **Rough Work / रफ कार्य**

**DO NOT OPEN THE QUESTION BOOKLET UNTIL ASKED TO DO SO**

1. Examinee should enter his / her roll number, subject and Question Booklet Series correctly in the O.M.R. sheet, the examinee will be responsible for the error he / she has made.
2. **This Question Booklet contains 100 questions, out of which only 75 Question are to be Answered by the examinee. Every question has 4 options and only one of them is correct. The answer which seems correct to you, darken that option number in your Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET) completely with black or blue ball point pen. If any examinee will mark more than one answer of a particular question, then the first most option will be considered valid.**
3. Every question has same marks. Every question you attempt correctly, marks will be given according to that.
4. Every answer should be marked only on Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET). Answer marked anywhere else other than the determined place will not be considered valid.
5. Please read all the instructions carefully before attempting anything on Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET).
6. After completion of examination please hand over the Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET) to the Examiner before leaving the examination room.
7. There is no negative marking.

**Note:** On opening the question booklet, first check that all the pages of the question booklet are printed properly in case there is an issue please ask the examiner to change the booklet of same series and get another one.